

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2015/आश्विन 6, 1937

[ग.रा.ग.क्षे.दि. सं. 107

No. 125]

DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015/ASVINA 6, 1937

[N.C.T.D. No. 107

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग
अधिसूचनाएं

दिल्ली, 28 सितम्बर, 2015

सं. एफ. 3(11)/वित्त (क. एवं स्थाप.)/2009-10/डीएसVI/822.—दिल्ली मूल्य सर्वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य सर्वर्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल, मूल्य सर्वर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रकाशन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात्—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार की तिथि	पदनाम
	श्री/श्रीमती/कु.		
1	अभिषेक देव	01/09/2015	अतिरिक्त आगुक्त मूल्य संवर्धित कर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के नाम तथा उनके आदेश पर
ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 28th September, 2015

No. F. 3 (11)/Fin (T&E)/2009-10/DS-VI/822.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with

